भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 660

जिसका उत्तर 06 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।

.....

कर्नाटक में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना

660. डॉ. के. सुधाकर:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा सुनिश्चित सिंचाई योजना के अंतर्गत खेतों तक पानी की वास्तविक पहुंच प्रदान करने और कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है;

(ख) क्या कर्नाटक को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत निधियां आवंटित की गई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कर्नाटक में उक्त योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या उक्त योजना को अपनाने के लिए चिक्कबल्लापुर के किसानों को कोई राजसहायता और सहायता दी गई है और यदि हां,तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ.) क्या चिक्कबल्लापुर का कोई किसान इस योजना से छूट गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सभी किसानों को इस योजना के अंतर्गत लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री   श्री राज भूषण चौधरी

(क): किसानों के लाभ के लिए भूमि के कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करने और खेतों तक पानी की वास्तविक पहुंच बढ़ाने के लिए योजनाओं का कार्यान्वयन संबंधित राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। हालाँकि, भारत सरकार चिन्हित की गई सिंचाई परियोजनाओं के लिए अपनी चल रही योजनाओं के तहत तकनीकी सहायता के साथ-साथ आंशिक वित्तीय सहायता प्रदान करती है। हाल के दिनों में इस संबंध में भारत सरकार की कुछ प्रमुख पहल नीचे दी गई हैं।

1. भारत सरकार द्वारा पीएमकेएसवाई को वर्ष 2021-22 से 2025-26 की अवधि को विस्तारित करने को मंजूरी दी गई है, जिसका समग्र परिव्यय 93,068.56 करोड़ रुपये (37,454 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता, नाबार्ड को 20,434.56 करोड़ रुपये की ऋण सेवा और राज्य सरकारों द्वारा राज्य के हिस्से के लिए 35,180 करोड़ रुपये का परिव्यय) है।
2. महाराष्ट्र की 8 एमएमआई और 83 सतही लघु सिंचाई (एसएमआई) परियोजनाओं को पूरा करने के लिए एक विशेष पैकेज को भारत सरकार द्वारा 2018-19 के दौरान वित्तीय सहायता के लिए मंजूरी दे दी गई है, जिसकी अनुमानित शेष लागत अप्रैल, 2018 तक 13,651.61 करोड़ रुपये है। उक्त पैकेज के लिए केंद्रीय सहायता घटक 3,831.41 करोड़ रुपये है, जिससे 3.77 लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता सृजित होगी।
3. जून, 2018 में भारत सरकार ने जम्मू-कश्मीर और पंजाब को लाभ प्रदान करने वाली शाहपुरकंडी बाँध (राष्ट्रीय) परियोजना के लिए 2,715.70 करोड़ रुपये की परियोजना लागत वाली वित्तीय सहायता को मंज़ूरी दी है। परियोजना के लिए स्वीकृत केंद्रीय सहायता देयता 485.38 करोड़ रुपये है।

4. सितंबर, 2018 में भारत सरकार ने राजस्थान फीडर और सरहिंद फीडर की रीलाइनिंग के लिए वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है, जिससे पंजाब और राजस्थान राज्यों को लाभ होगा और इसकी स्वीकृत लागत 1976.75 करोड़ रुपये है। परियोजना के लिए स्वीकृत केंद्रीय सहायता देयता 982 करोड़ रुपये है।
5. दिसंबर, 2021 में भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में क्रमशः रेणुकाजी बांध और लखवार बहुउद्देशीय (राष्ट्रीय) परियोजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी है। दोनों परियोजनाओं की अनुमानित लागत क्रमशः 6,946.99 करोड़ रुपये और 5,747.17 करोड़ रुपये है।
6. दिसंबर, 2021 में भारत सरकार ने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों में 44,605 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से केन-बेतवा लिंक परियोजना को भी मंजूरी दी है।

(ख) और (ग): प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) वर्ष 2015-16 के दौरान शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य खेतों तक पानी की वास्तविक पहुंच बढ़ाना और सुनिश्चित सिंचाई के तहत कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करना, खेतों में जल उपयोग दक्षता में सुधार करना, स्थायी जल संरक्षण तरीकों को लागू करना आदि है।

पीएमकेएसवाई एक व्यापक योजना है, जिसमें इस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे दो प्रमुख घटक शामिल हैं, अर्थात् त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी), और हर खेत को पानी (एचकेकेपी)। एचकेकेपी में चार उप-घटक शामिल हैं: कमांड क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन (सीएडी और डब्ल्यूएम), सतही लघु सिंचाई (एसएमआई), जलाशयों की मरम्मत, नवीनीकरण और पुनरूद्धार (आरआरआर), और भूजल (जीडब्ल्यू) विकास। एचकेकेपी के सीएडी और डब्ल्यूएम उप-घटक को एआईबीपी के साथ-साथ कार्यान्वित किया जा रहा है।

इसके अलावा, कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा कार्यान्वित प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) घटक, वर्ष 2015 में पीएमकेएसवाई की शुरुआत से दिसंबर, 2021 तक पीएमकेएसवाई का हिस्सा था। उसके बाद, इसे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के एक हिस्से के रूप में कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है, और अब यह पीएमकेएसवाई का हिस्सा नहीं है। पीएमकेएसवाई (एआईबीपी, सीएडीडब्ल्यूएम, एसएमआई और पीडीएमसी घटक) के तहत कर्नाटक को आवंटित/जारी किए गए धन का विवरण नीचे दिया गया है।

क्र. सं.	पीएमकेएसवाई के घटक	कर्नाटक को जारी केंद्रीय सहायता (2015-16 से 2024-25)(करोड़ रूपये में)	लक्षित लाभार्थियों की अनुमानित संख्या (हजारों में)
1.	एआईबीपी तथा सीएडी और डब्लूएम	1477.16	855.92
2.	एसएमआई	105	6.18
3.	पीडीएमसी	3,251.79	2100

(घ) और (ड.): पीएमकेएसवाई के पीडीएमसी घटक के अंतर्गत सूक्ष्म सिंचाई के उपकरण लगाए जाने के लिए सरकार द्वारा छोटे और सीमांत किसानों के लिए 55% की दर से तथा अन्य किसानों के लिए 45% की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है । वर्ष 2015-16 से 2024-25 तक, पीडीएमसी के कार्यान्वयन के लिए कर्नाटक राज्य को 3,251.79 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता जारी की गई है। इस अवधि के दौरान, राज्य में इस योजना के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई के तहत कुल 21.07 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है, जिसमें कर्नाटक राज्य के चिक्काबल्लापुरा जिले में कवर किया गया 39895 हेक्टेयर सूक्ष्म सिंचाई क्षेत्र भी शामिल है।

***